एसटीसी/मुख्यालय/कार्मिक/औ.सं./02060(खंड-।।)2017

दि स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड: नई दिल्ली
कार्मिक प्रभाग
(औद्योगिक संबंध समूह)

06 जुलाई, 2018

परिपत्र संख्या औ.सं./13/2018

विषय: वर्ष में कितनी बार अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश की मंजूरी

यह देखा गया है कि कुछ कर्मचारी अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश के मामले में पूर्व अनुमति के बिना, बार-बार एक दिन का अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश ले रहे हैं। यह भी नोट किया गया है कि कर्मचारी द्वारा ली गई एक दिन की छुट्टी संबंधित कर्मचारी द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने के बाद या तो अर्जित अवकाश (ईएल) अथवा अर्धवेतन अवकाश के रूप में नियमित कराई जाती है तथा बहुत से मामलों में अर्धवेतन अवकाश को चिकित्सा छुट्टी के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जिसके लिए एसटीसी में प्रचलित व्यवहार के अनुसार कोई चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया जाता है।

2. कर्मचारी द्वारा बार-बार छुट्टी लेने के कारण काम का इकट्ठा होना, कर्मचारी की कार्यकुशलता में कमी, सौंपे गए लक्ष्य पूरे न होना तथा कार्पोरेशन के कार्य में बाधा उत्पन्न होती है । उपर्युक्त को देखते हुए, कार्पोरेशन के सहज कार्य संचालन के लिए एक दिन सहित बार-बार अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश लेने के मामले की समीक्षा की गई है। अत: यह निर्णय लिया गया है कि तत्काल प्रभाव से कर्मचारी द्वारा अर्जित अवकाश/अर्धवेतन अवकाश/परिवर्तित अवकाश लेने हेतु निम्नलिखित नियम लागू होंगे:

i) **अर्जित अवकाश:** कर्मचारी द्वारा एक कलैंडर वर्ष में अधिक-से-अधिक 3 बार ही अर्जित अवकाश लिया जा सकता है।

ii) **अर्धवेतन अवकाश:** चिकित्सा आधार पर परिवर्तित अवकाश के रूप में अर्धवेतन अवकाश,दिनों की सीमा के बिना रजिस्टर्ड मैडिकल प्रैक्टिसनर, जिनकी योग्यता एमबीबीएस या समकक्ष से कम न हो, द्वारा जारी किए गए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर ही प्रदान किया जाएगा।

3. किसी कर्मचारी के देरी से कार्यालय आने पर यदि उसके पास आकस्मिक अवकाश नहीं है तो उसके द्वारा अनुरोध किए जाने पर इसे अर्जित अवकाश के रूप में समायोजित किया जाएगा तथा ऐसी स्थिति में अर्जित अवकाश लेने की सीमा लागू नहीं होगी।

4. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(टी.केरकेट्टा)
महाप्रबंधक (कार्मिक)

ई-मेल:

- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के कार्यकारी सचिव
- सभी निदेशकों/मुख्य सतर्कता अधिकारी के कार्यकारी सचिव
- सभी मुख्य महाप्रबंधक/महाप्रबंधक
- सभी प्रभागाध्यक्ष, मुख्यालय
- सभी शाखा प्रबंधक

प्रतिलिपि:

- संयुक्त महाप्रबंधक(वित्त)(लेखा एवं स्थापना), मुख्यालय
- सूचना पट्ट
- वेबसाइट

STC/CO/PER/IR/02060(Vol-II)/2017

THE STATE TRADING CORPORATION OF INDIA LTD: NEW DELHI

PERSONNEL DIVISION

(I.R. GROUP)

July 6th, 2018

CIRCULAR NO: IR/13/2018

Subject: Sanction of EL/HPL number of times in a year

It has been observed that some employees have been availing Earned Leave, Half Pay Leave/Commuted Leave even for one day at frequent intervals, without prior permission in case of EL/HPL. It has also been noted that one day leave availed by an employee is later on regularised on submission of application by the concerned employee either as Earned Leave (EL) or Half-pay leave and in many cases Half Pay Leave is Commuted as Medical Leave, for which no medical certificate is submitted as per existing practice in STC.

2. The frequent availing of leave by an employee results in accumulation of work, declining in efficiency of the employee, non fulfilment of assigned targets and impede the work of the Corporation. In the light of the above, the matter has been reviewed regarding availing of EL/HPL/Commuted Leave on frequent intervals including one day for smooth working of the Corporation. It has therefore been decided that with immediate effect the following rules will be applicable for availing of EL/HPL/Commuted Leave by an employee:

i) **Earned leave:** Earned Leave can be availed by an employee in a calendar year for not more than three occasions.

ii) **Half Pay Leave:** Half Pay Leave will be granted as Commuted Leave on Medical grounds, irrespective of number of days, only on production of medical certificate issued by registered Medical Practitioner, not less than MBBS or equivalent qualification.

3. In the event of an employee coming late to the office, if he/she has no CL at his/her credit, the said late coming shall be set off against EL at his/her credit subject to his/her making request for such adjustment and in such eventuality the limit of availing of EL will not be applicable.

4. This issues with the approval of the Competent Authority.

(T. Kerketta)
General Manager (Pers.)

By E-mail:

- *Exe. Secy. to CMD*
- *Exe. Secys. to All Directors/CVO*
- *All CGMs/GMs*
- *Divisional Heads, CO*
- *All Branch Managers*

Copy to

- *JGM(F)(A&E), CO*
- *Notice Board*
- *Website*